अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान ____ [illegible] ____ बनाम ____ [illegible] ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	
[illegible]	पत्रावली वास्ते आदेश अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत पेश हुई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सपठित आदेश 41 नियम 3ए सिविल प्रक्रिया संहिता के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के वकील द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.02 की जानकारी कभी नहीं दी गई। दिनांक 18.04.22 को अर्जुनसिंह ने 31.07.02 की जानकारी दी व 20.04.22 को नकल प्रार्थना पत्र लगाया। दिनांक 20.04.22 को नकल प्राप्त कर 27.04.22 को अन्दर मियाद पेश की गई।	
	31.07.02 से 18.04.22 तक अपील को मियाद में लेने हेतु देरी अवधि को कन्डोन प्रार्थना पत्र के साथ कर मियाद अन्दर पेश की गई है।	
	अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने लिखित जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय अधिनियम के संबंध में पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील 20 वर्ष पश्चात् पेश की है संतोषजनक तथ्य नहीं अंकित किए है। अदालत मातहत के उभयपक्ष की मौजूदगी में बहस हुई थी। विवादित आराजीयात मय कैफियत के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हस्तांतरित हो गए है। विक्रय पत्र को रद्द करने तक अपीलांट के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अपीलांट अपील मय कॉस्ट खारिज की जावे।	
	वकला फरीकैन ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया।	
	अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दृष्टान्त ए.आई.आर. 87 (एस.सी.) 1400 ए.आई.आर. 2007 एस.ओ.सी. (एच.पी.) 674 ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 258 2019 एल.ए.आर.(एस.सी.) 632 ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 48 2017 आर.आर.डी. 674 (एस.सी.), 2018(1) आर.आर.डी. 282 (एस.सी.) पेश किए।	
	अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा आर.बी.जे. 2010 पी. 328 आर.आर.डी. 2014 (2)–1349–1362 पेश किए।	
	उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।	
	अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 31.07.2002 को मुकदमा नम्बर 138/90 बउनवान सुंदर [illegible]	

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में पारित निर्णय अवलोकन किया गया। अपीलांट अदालत में स्वयं वादी थे तथा रामलाल त्रिपाठी एड0 रहे है। अदालत मातहत द्वारा कायम तनकीयात की गई। वादी द्वारा वाद के समर्थन में गेन्दया व अमरचन्द के बयान करवाए है। बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनकर निर्णय पारित किया गया है।

निर्णय के अवलोकन से जाहिर है कि वाद पत्र स्वयं अपीलांट/वादी द्वारा पेश किया गया है, और वादी ने वाद के समर्थन में गवाह बयान भी करवाए है। इससे यही धारणा की जाती है कि वादी अपने वाद पत्र के प्रति सजग रहा है। वादी को अपने मामले की जानकारी होना अदालत मातहत के निर्णय से जाहिर है। अपीलांट द्वारा जिस स्त्रोत से अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी प्रकट हुई है, उस व्यक्ति का शपथ पत्र भी पेश नही किया गया है। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विश्वास करने का कोई ठोस आधार नही है। अपीलांट के इस कथन पर विश्वास करने का कोई ठोस आधार नही है की उसके अधिवक्ता ने उसे इस अदालत मातहत के निर्णय से अवगत नही कराया। अपीलांट/वादी का यह दायित्व है कि वह अभिभाषक से संपर्क करता। इससे यह तो नही कहा जा सकता कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी नही थी। यह तथ्य सही है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय लचीला रूख अपनाना चाहिये। लेकिन लचीले रूख का तात्पर्य यह नही है कि किसी निर्णय के विरूद्व अपील 19 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की जावे, और लचीले रूख का निवेदन करे। इतनी देरी को माफ नहीं किया जा सकता।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस कारण चस्पा नही होते क्योंकि अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया है, न कि एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है और पत्रावली बिना गुणावगुण के निर्णित किए अपील मियाद बिंदु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास आज 12.12.2022 को सुनाया गया।

12/12/2022

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:30:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner